Doc. No. 175/2020
Amendment Series No. 72

No.1/20/1/2018-Cab.
Government of India (Bharat Sarkar)
Cabinet Secretariat (Mantrimandal Sachivalaya)
Rashtrapati Bhavan

New Delhi, the April 3, 2020

ORDER

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 6 of the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961, the Prime Minister hereby makes the following further amendments to the First Schedule to the said rules, namely: -

In the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961, in THE FIRST SCHEDULE, for serial numbers 7 and 8, the names of the Standing Committees and their functions, the following shall be substituted, namely: -

"7. Cabinet Committee on Investment and Growth.

(i) to consider measures to promote investment and growth;

(ii) to consider sector specific reforms and other measures aimed at export promotion, import substitution, accelerating capital inflows, etc.;

(iii) to consider various measures for improving Ease of Doing Business including rationalization and simplification of rules and regulations, etc.;

(iv) to consider measures to fast-track requisite approvals and implementation of key ongoing as well as new projects; and

(v) to consider any other matter relating to boosting investment and growth.

"8. Cabinet Committee on Employment and Skill Development.

(i) to consider policies, programmes and other measures for employment generation and skill development;

(ii) to consider measures aimed at developing skills and enhancing employability of workforce for effectively meeting the emerging requirements of the economy;

(iii) identification and removal of gaps between the requirement and availability of skills in different sectors;

(iv) to consider measures aimed at increasing workforce participation with particular emphasis on women workforce;

(v) to consider measures for expeditious implementation of employment generation and skill development initiatives by the Ministries/Departments and to periodically review the progress in this regard; and

(vi) to consider any other matter relating to employment generation and skill development.".

(Sarwesh Kumar Arya)
for Cabinet Secretary
Tel: 2379 2204

संशोधन अवलि सं.72

सं. 1/20/1/2018-मंत्रि.
भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली, दिनांक 03 अप्रैल, 2020

आदेश

प्रधान मंत्री, भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

भारत सरकार (कार्यकरण) नियमावली, 1961 में प्रथम अनुसूची में क्रम संख्या 7 व 8, स्थाई समितियों के नाम और उनके कृत्य, के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे:-

"7. **निवेश तथा वृद्धि संबंधी मंत्रिमंडल समिति।**

(i) निवेश तथा वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उपायों पर विचार करना;

(ii) निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, पूंजी अंतर्वाह इत्यादि में तेजी लाने की दिशा में क्षेत्र विशेष सुधारों तथा अन्य उपायों पर विचार करना;

(iii) नियमों और विनियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाने सहित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हेतु विभिन्न उपायों पर विचार करना;

(iv) प्रमुख चालू और नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदनों और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उपायों पर विचार करना; और

(v) निवेश तथा वृद्धि को बढ़ावा देने संबंधी अन्य किसी भी मामले पर विचार करना।

8. **रोजगार तथा कौशल विकास संबंधी मंत्रिमंडल समिति।**

(i) रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य उपायों पर विचार करना;

(ii) अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कौशल विकसित करने और कार्यबल की नियोजनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से उपायों पर विचार करना;

(iii) विभिन्न क्षेत्रों में कौशल आवश्यकता और उपलब्धता के बीच की कमियों को पहचानना तथा उसे दूर करना;

(iv) महिला कार्यबल पर विशेष जोर देते हुए कार्यबल सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से उपायों पर विचार करना;

(v) मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए रोजगार सृजन तथा कौशल विकास पहलों का तेजी से कार्यान्वयन के उपायों पर विचार करना और इस संबंध में की गई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना; और

(vi) रोजगार सृजन और कौशल विकास संबंधी किसी भी अन्य मामले पर विचार करना।"

सर्वेश आर्य

(सर्वेश कुमार आर्य)
कृते मंत्रिमंडल सचिव
दूरभाषः 2379 2204